

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-01, दिनांक-

सं०सं०-1/श्रम वि०स्था०(1)10-10/2022 श्र०सं०...../श्रीमती नेहा आर्या, श्रम अधीक्षक, पुनर्वास-सह-योजन, पटना उप श्रमायुक्त कार्यालय, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम 227 एवं 230 में निहित प्रावधान के तहत दिनांक 04.11.2024 से 08.12.2024 तक कुल 35 दिनों के उपभोगित उपार्जित अवकाश की स्वीकृति दी जाती है।

2. इसके उपरान्त श्रीमती नेहा आर्या के पक्ष में दिनांक 09.12.2024 तक कुल 109 दिनों का उपार्जित अवकाश आदेय रह जायेगा।

ह०/-

(राजीव रंजन)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-1/श्रम वि०स्था०(1)10-10/2022.....98...../श्र०सं० पटना, दिनांक-07/01/25

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना (सी०डी० सहित बिहार गजट में प्रकाशनार्थ)/महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा० नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार /श्रमायुक्त, बिहार, पटना उप श्रमायुक्त, पटना/श्रीमती नेहा आर्या, श्रम अधीक्षक, पुनर्वास-सह-योजन, पटना उप श्रमायुक्त कार्यालय, पटना एवं आई०टी० मैनेजर, (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव